(41)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 24 / 2017

साहब खां पुत्र मीर खां जाति मेव निवासी ग्राम खेडली अलीमुद्दीन तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

1. आरस्तून पत्नि मोहर खां
2. सम्पतवी पत्नि मोहर खां जाति मेव निवासी खेडली अलीमुद्दीन तहसील पहाडी (भरतपुर)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी
4. हसीना पत्नि साहब खां जाति मेव निवासी खेडली अलीमुद्दीन तहसील पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री बृजलाल शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री प्रहलाद सिंह वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :— 31.12.2020

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 50 / 0.16, 57 / 0.24, 58 / 0.16, 90 / 0.28, 92 / 0.19, 105 / 0.19, 158 / 0.71, 168 / 0.53, 241 / 0.14, किता 9 रकबा 2.60 है0 बांके ग्राम खेडली अलीमुद्दीन तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुत0 राजस्व रिकॉर्ड में मोहर खां पुत्र चांदमल जाति मेव के नाम दर्ज है। मोहर खां मुझ प्रार्थी का काका था। मोहर खां के कोई औलाद नहीं थी। केवल दो पत्नियां है जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 है। मोहर खां व उसकी पत्नियां मेरे साथ रहते आये है

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

और मोहर खां के फौत हो जाने के बाद अप्रार्थीगण 1 व 2 मेरे पास ही रह रही है। मैं उनकी सेवा करता चला आ रहा हूँ मोहर खां के कोई औलाद नहीं होने के कारण सन् 1996 में एक वसीयत प्रार्थी के नाम तस्दीक की जिसमें मोहर खां ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति का वारिस मुझ प्रार्थी को बनाया है। मोहर खां के मरने के बाद सारी रस्म व रीति रिवाज मुझ प्रार्थी ने ही निभाये थे और आराजी पर काफी समय से मेरा ही कब्जा काश्त है और मैं कि सम्पूर्ण आराजी को जोतता बोता चला आ रहा हूँ आराजी पर पूर्व में भी एक वाद दायर किया था जिसे मैंने अपनी सहमति से वापस ले लिया था क्योकि उस समय मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य गाँव के व्यक्तियों ने चला आ रहा आपसी मनमुटाब खतम करा दिया जिसके बाद प्रार्थी ने अपनी वसीयत के आधार पर आराजी का दाखिल खारिज अपने नाम दर्ज कराने हेतु तहसीलदार पहाडी के यहाँ एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके आधार पर तहसीलदार ने वसीयत की जाँच कराई और वसीयत के आधार पर आराजी का दाखिल खारिज मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसके आधार पर पटवारी व गिरदावर ने आराजी बाबत दाखिल खारिज संख्या 351 से दाखिल खारिज मेरे नाम खोल दिया। आराजी जमाबन्दी में अभी भी मृत्तक मोहर खां के नाम चली आ रही है। जो कि खिलाफ कानून व मौका है। जिसे प्रार्थी कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। आराजी के बाबत प्रार्थी के नाम वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज की कार्यवाही के दौरान अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को दीगर व्यक्तियों द्वारा बहला फुसला दिया और अप्रार्थीगण अब प्रार्थी के हिस्से पर कुठाराघात कराना चाहते है और प्रार्थी की आराजी का दाखिल खारिज अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। राजस्व कर्मचारियों से अप्रार्थीगण सांठ–गांठ करने में लगी हुई है और दाखिल खारिज कार्यवाही में साज कर निरस्त कराना चाहती है। जिसकी ऐलानिया धमकी दिनांक 08.04.2017 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को ग्राम खेडली अलीमुद्दीन में दी है। जरिये अप्रार्थीगण 1 व 2 अपनी धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को हुक्म इम्तनाई चंद रोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी मुतदाविया में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे। प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर बेदखल न करें व दीगर शख्सो को रहन वय मुन्तकिल नहीं करे एवं राजस्व रिकॉर्ड , मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीदर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब मय काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी बांके ग्राम खेडली अलीमुद्दीन तहसील पहाडी में स्थित है। जो कि पूर्व में हम

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण के पति मोहर खां के पिता चांदमल की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जो कि चांदमल के गुजर जाने के बाद जरिये इन्तकाल नम्बर 27 दिनांक 15.03.1945 को विरासतन हम अप्रार्थीगण के पति मोहर खां के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिस पर हम अप्रार्थीगण अपने पति के जीवन काल तक मोहर खां के साथ काश्त करती चली आ रही थी। पति मोहर खां के फौत हो जाने के बाद हम अप्रार्थीगण वाहैसियत विधवा वारिसान मोहर खां वाहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। अप्रार्थीगण के पति ने प्रार्थी के पक्ष में कभी कोई वसीयत नहीं की। साहब खां जो हम अप्रार्थीगण के पति मोहर खां का गाँव नाते का भतीजा लगता है ने हम अप्रार्थीगण के पति के नाम दर्ज आराजी मुत0 को हडपने के उद्देश्य से दीनू पुत्र रहमान, नब्बी पुत्र कमला जाति मेव निवासी थलचाना तहसील पहाडी एवं इन्द्रा बंसल नोटेरी पब्लिक भरतपुर , दाऊदयाल गुप्ता अरजी नवीस भरतपुर से अपराधिक षडयन्त्र करके दिनांक 11.04.1996 को स्टाम्प अज्ञात स्टाम्प वेण्डर भरतपुर यहाँ से खरीदकर उस पर किसी दाऊदयाल गुप्ता अरजी नवीश भरतपुर के नाम से वसीयत नामा व कलम तहरीर कराकर हम अप्रार्थीगण के पति मोहर खां की जमीन को हडपने के उद्देश्य से कूटरचित तैयार कर न्यायालय में पेश किया है। जिसकी जानकारी हम अप्रार्थीगण को दिनांक 08.02.2017 को प्रार्थी साहब खां द्वारा मुकदमें हाजा में प्रस्तुत फर्जी वसीयत नामा की जानकारी होने पर मुझ अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी व उसके सहयोगी शख्सो के खिलाफ न्यायालय श्रीमान अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कामाँ के यहाँ परिवाद पत्र धारा 467,468,471,472,420,120 बी, 147,148,323, 341, 354, 452, आई0पी0सी0 के तहत पेश किया जो वाद आदेश दिनांक 28. 02.2017 से थाना जुरहरा पर जैर तहकीकात है। इसी आराजी मुतदाविया की बाबत पूर्व में हम अप्रार्थीगण के खिलाफ मुकदमा नं0 07/2017 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत पेश किया था। जिसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का भी पेश किया था। जिसको न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 21.03.2017 को प्रार्थी व उसके वकील की उपस्थिति में खारिज किया जा चुका है। इसके पश्चात इसी आराजी की बाबत प्रार्थी ने इन्ही तथ्यों के आधार पर पुनः दावा व प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है । इसलिए मौजूद वाद व प्रार्थना पत्र हस्व आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में दिये गये प्रावधानों के तहत काबिले खारिजी के है। अतः जबाब मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर हर्जा खास 10000/–रूपये हम प्रतिवादीगण को दिलाया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

(५५)

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मोहर खाँ पुत्र चांदमल की रही है। जो कि अप्रार्थीगण 01 एवं 02 का पति था। मौहर खां की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण मोहरखां के विधिक वारिसान है। क्योंकि की मौहर खां के कोई सन्तान नहीं थी। प्रार्थी ने उक्त दावा एवं प्रार्थना पत्र वसीयत के आधार पर प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में तहसीलदार पहाड़ी ने नामांतरण के आदेश दिनांक 03.02.2017 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष को सुनकर,वसीयत में आराजी के स्वंय अर्जित अथवा पैतृक होने का विवरण न होने पर वसीयत के आधार पर नामांतरण को खारिज किया गया है। उक्त वसीयत की सत्यता के संबंध में थाना जुरहरा में मुकदमा सं. 51/2017 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 472, 120 बी,147, 148, 149, 323, 341, 354 एवं 452 भा0 द0 सं0 के अन्तर्गत जैर तहकीकात है। जिसमें एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार वसीयतनामा कूट रचित प्रकट किया गया है। अप्रार्थी ने अपने जबाब में यह भी कथन किया गया है कि आराजी के बाबत प्रार्थी ने पूर्व में भी अन्तर्गत धारा 88,89 एवं 188 एक दावा न्यायालय हाजा में पेश किया गया था।

अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी में निहित है।

2.**सुविधा सन्तुलन :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी के मौहर खां की मृत्यु की पश्चात अप्रार्थीगण 1 एवं 2 विधिक वारिसान है। एवं प्रार्थी का संबंध सरोकार नहीं है एवं वसीयतनामा जैर तहकीकात है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी में ही निहित है।

3.**अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अतः आज्ञा है कि :—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। पूर्व में इस न्यायालय जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.07.2017 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)